

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती वर्ष 2018 के अनर्तगत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ.-2018/एन.जे./2021 दिनांक 10.06.2021 एवं 11.06.2021 के तहत राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा रिशफल जिला आवंटन में चयनित अभ्यर्थियों (अनुसूचित क्षेत्र) को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने एवं प्रदत्त निर्देशों एवं शर्तों अनुसार संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को काउंसलिंग दिनांक 19.06.2021 में इनके द्वारा इस कार्यालय में उपस्थिति होकर प्रस्तुत विकल्प अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में 02 वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विधालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 12 (6) एफ.डी.नियम/05 दिनांक 13-03-2006 एवं एफ.15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 शेड्यूल IV के प्रावधानानुसार नियत मानदेय रु. 23700/- (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.8 (1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ. 15(1)एफडी/ रूल्स/2017/ जयपुर दि. 30-10-2017 के रूल्स 16 के तहत प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) के अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।


सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरित टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी /ए-III/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
4. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषण पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे। .....2/.....

5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्यग्रहण से पूर्व 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये तथा त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये गये तो उनका चयन/नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
7. रिशफल जिला आवंटन के तहत जिला परिवर्तित अभ्यर्थियों के संबंध में निदेशित किया जाता है कि पूर्व जिले के संबंधित संस्थाप्रधान नवीन आवंटित जिले के लिए कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करे एवं उनके समस्त दस्तावेज (मूल विस्तृत आवेदन पत्र, सेवा पुस्तिका, निजी पंजिका आदि) इस आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित नवीन पदस्थापित विद्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करावे।
8. उक्त भर्ती में रिशफल जिला आवंटन पश्चात जिला परिवर्तन होने पर जिला परिवर्तन वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का विलोपन नहीं होगा।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 05.07.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्यत होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। चयनित अभ्यर्थियों की उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या-13257/2018, 15078/2019, 18068/2019, 5210/2020, 4654/2020 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार सूची

  
(गंगा कलावन्त)


जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

क्रमांक: जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2021/188

दिनांक 19-06-2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरौही
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि.सिरौही
10. संबंधित सी.बी.ई.ओ.....
11. सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका.....
12. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
14. रक्षित पत्रावली।


  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

क्रमांक:-जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2021/188

दिनांक:-19.06.2021

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III (अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	वर्तमान पदस्थापन व जिला	नवीन पदस्थापन स्थान व जिला	अभ्यर्थी का फोटो
1	3227	BHANWAR LAL	RAJA RAM	MEENA SABHA BHAWAN KE PASS, MALNOO POST - MALNOO TEH - BALI MALNOO PINCODE 306504 DIST. PALI	ST	10-Jul-82	ST	रामावि तेजा का वास, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर	राउमावि ठण्डीवेरी, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही	

विज्ञा कलकले  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा, सिरौही